न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 81/2014
वाद दायरी दिनांक : 01/07/2014
निर्णय दिनांक : 16/05/15

गोपाल पुत्र सुवा उम्र 56 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

—— वादी

बनाम

1. नन्दा उम्र 35 वर्ष पुत्र गोपाल जाति खाती निवासी धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
2. अमरचन्द उम्र 32 वर्ष पुत्र गोपाल जाति खाती निवासी धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
3. भूरी पत्नी नौरतमल जाति खाती निवासी धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
4. नन्दू पुत्री नोरतमल पत्नि किशन जाति खाती निवासी उरसेवा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
5. लाली पुत्री नोरतमल पत्नि रतन जाति खाती निवासी उरसेवा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
6. तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

—— प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम)

*उपस्थिति – **श्री भैरूलाल शर्मा***
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 ल. 5

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 16/5/14

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि प्रथम पर्चा सेटलमेन्ट सम्वंत 2011 से 2029 के खाता संख्या 39 के अनुसार ग्राम धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर राज में खसरा नम्बर 1185 रकबा 11 बिस्वा 1195 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा का पर्चा रामा व हीरा पुत्रान माधो जाति खाती के नाम जारी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

किया गया तत्पश्चात नामान्तरण संख्या 246 दिनांक 23/11/63 के द्वारा धारा 19 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट तहत वादी के पिता सुवा वल्द छीतर के नाम से खातेदारी दर्ज की गई इसी प्रकार पर्चा सेटलमेन्ट सम्वंत 2011 से 2029 के खाता संख्या 42 द्वारा खसरा नम्बर 1187 रकबा 3 बिस्वा गे. मु. चाह का पर्चा सुवा हीरा पुत्र छीतर हिस्सा 1/4 की खातेदारी दर्ज कि गई है। जो राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित है। साबिक ख.न. 1185 से हाल ख.न. 3346, रकबा 0.11 है0, व ख.न. 3348 रकबा 0.03 है0 साबिक ख.न. 1187 से हाल ख.न. 3352 रकबा 0.04 है0 व साबिक ख.न. 1195 से हाल ख.न. 3543 रकबा 0.42 है0 ग्राम धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर में कायम किया गया है जमाबन्दी सम्वंत 2066 से 2069 के खाता संख्या 38 की आराजी ख.प. 3352 रकबा 0.04 है0 गे. मु. चाह हिस्सा 1/8 प्रतिवादी संख्या 1, 2 हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा सुवा पुत्र श्री भींवा 1/8 प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 के नाम है, एवं ग्यारसी पत्नी गोपाल का स्वर्गवास हो चुका जिसको विधिक वारीस एवं उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है, इस प्रकार खाता संख्या 173 की आराजी खसरा नम्बर 3346 रकबा 0.11 है0 व 3348 रकबा 0.03 है0 व खसरा नम्बर 3543 रकबा 0.42 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.56 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो गलत है ख. न. 3352 हिस्सा 1/4 एवं ख.न. 3346, 3348, 3543 कुल किता 3 कुल रकबा 0.56 है0 भूमि वाके ग्राम धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर वादी एकमात्र खातेदार काश्तकार है एंव बेअसर है उक्त इन्द्राज से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार सर्जित नही होते है वादी आज भी विवादग्रस्त आराजीयात उपरोक्त वर्णित बेहसीयत खातेदारी काश्तकार एवं काबिज काश्त है। वादी के पिता सुवा पुत्र छीतर एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता गोपाल के पिता का नाम सुवा पुत्र भीवां है, जो कि पर्चा सेटलमेंन्ट सम्वतं 2011 से 2029 खाता संख्या 42 एवं नामान्तरण संख्या 246 तथा नामान्तरण संख्या 812 दिनांक 08/02/1985 द्वारा एवं नामान्तरण संख्या 669 तथा नामान्तरण संख्या 503 दिनांक 21/03/1975 से पुणतह साबित है इस प्रकार सिजरा से प्रमाणित है कि वादी प्रतिवादी संख्य 3 सुवा पुत्र छीतर से ताल्लुक रखती है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 सुवा पुत्र भींवा से ताल्लुक रखते है। विवादग्रस्त आराजीयात में नामान्तरण संख्या 246 के तहत द्वारा धारा 19 के तहत खातेदारी ख.न. 1185, 1195 वादी के पिता सुवा पुत्र छीतर के नाम दर्ज हुई तत्पश्चात नामान्तरण संख्या 503 दिनांक 21/3/1975 द्वारा खसरा नम्बर 1187 की विरासत प्रतिवादी संख्या 3 के पति नोरत

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

की वल्दियत सुवा हिस्सा 1/8 दर्ज कर दी गई एव ना.स. 669 दिनांक 5/12/1978 द्वारा सुवा पुत्र भींवा की विरासत प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता गोपाल पुत्र सुवा के नाम दर्ज है, तथा ना. स 812 दिनांक 8/2/1985 के द्वारा प्रंतिवादी संख्या 1, 2 के नाम विरासत से खातेदारी दर्ज की गई है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वतं 2027 से 2030 के खाता संख्या 275 मे सुवा पुत्र छीतर का अंकन है, जो जमाबन्दी सम्वंत 2031 से 2030 के खाता संख्या 36 में वदी के नाम का अंकन कॉलम स. 16 में ना. स. 503 का अंकन है जो वादी से सम्बन्धीत है, सही है परनतु जमाबन्दी सम्वतं 2035 से 2038 के कालॅम स. 16 में ना. स. 669 का अंकन करते हुए गोपाल पुत्र सुवा जा कि प्रतिवादी संख्या 1/2 के पिता की अन्य खातेदार भूमि के साथ जोडते हुए गलत दर्ज कर दी गइ है, जो राजस्व रिकॉर्ड का संधारण के समय नाम व वल्दियत व गलत फहमी-करवाने का अधिकारी है। वादी अनपढ होने एवं मौके पर कोई विवाद नही होने से उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नही हो सकी वादी व प्रतिवादी 1, 2 के नाम व वल्दियत एक राय होने से ऋुटी वंश उक्त गलत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, वादी का गोत्र बराणीया व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता का गोत्र हर्षवाल है। दिनांक 3/6/2014 को वादी किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर ऋण लेने हेतु राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बैंक से सम्पर्क किया तथा गलत इन्द्राज की प्रथम बार जानकारी हुइ है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 ल. 5 को विवादित भूमि नाम करवाने हेतु निवेदन दिनांक 5/6/14 को करने पर साफ इन्कार हो जाने से तथा शिघ्र ही बिना कब्जे विक्रय करने की धमकी देने से उत्पन हुआ है। वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद बाबत घोषणा खातेदारी बहक वादी विरूद्व प्रवितादी संख्या 1 ल. 5 डिक्री किया जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 3346 रकबा 0.11 है0 3348 रकबा 0.03 है0 खसरा नम्बर 3543 रकबा 0.42 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.56 है0 हिस्सा सम्पूर्ण व हाल ख.न 3352 रकबा 0.04 है0 गे.मु चाह हिस्सा 1/4 वाके ग्राम धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 ल. 5 का नाम विलोपित किया जावें डिक्री की पालनार्थ तह0 दूदू को लिखा जावें। अनुषंगिक अनुतोष बाबत ईन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी अनुतोष के मद न. 1 में वर्णित हिस्से अनुसार वर्तमान इन्द्राज हजफ फरमाया जाकर प्रार्थी/वादी का नाम का इन्द्राज

उपखण्ड अधिक...

Scanned by CamScanner

प्रतिस्थापित किया जावें। वादी का वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ल. 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करवाया जावें कि वादी को कब्जे काश्त उपयोगक उपभोग में कोई दखलदांजी न स्वयं करे न अन्य से करावें न ही रहन, बेय, मुनतकिल करावें। सब पाबन्द रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 की ओर से श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा साथ में इकबालिया जवाबदावा पेश किया। जो शामिल पात्रावली किया गया। दिनांक 20/04/2015 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री प्रमोद कुमार जैन एडवोकेट ने अण्डरटेकिंग ली।

दिनांक 23/01/2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से न तो स्वंय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित हुये न ही कोई अधिवक्ता उपस्थित हुये, इसलिये इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। दिनांक 07/02/2017 को वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्य–1 गोपाल, पी.डब्ल्यू 2 नन्दाराम, पी.डब्ल्यू 3 राधेश्याम पेश हुये, जिनके बयान लिये गये। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 6 फोरमल पक्षकार है, जिसकी ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात सत्य प्रतिलिपी मिलान क्षैत्रफल, फोटो प्रति नामान्तरकरण ग्राम धांधोली, जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 खाता संख्या 38, जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 खाता संख्या 172, 173, भू प्रबन्धक सैटलमेन्ट, भू प्रबन्धक सैटलमेन्ट दिनांक 12/05/2014, नामान्तरकरण पंजिका खाता संख्या 286, नामान्तरकरण पंजिका संख्या 503, नामान्तरकरण संख्या पंजिका खाता संख्या 669, नामान्तरकरण पंजिका खाता संख्या 503, फोटो प्रति राशनकार्ड संख्या 00115, फोटो प्रति पहचान–पत्र संख्या आर/13/046/405298, फोटो सम्वत 2039 से 2042 खाता संख्या 85, फोटो प्रति जमाबन्दी धांधोली सम्वत 2028 से 2030 खाता संख्या 284, 285, जमाबन्दी सम्वत 1974 से 1977, जमाबन्दी धांधोली संख्या 34, 35, 36 सम्वत 1978–1981, प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा का

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि साबिक ख.न. 1185 से हाल ख.न. 3346, रकबा 0.11 है0, व ख.न. 3348 रकबा 0.03 है0 साबिक ख.न. 1187 से हाल ख.न. 3352 रकबा 0.04 है0 व साबिक ख.न. 1195 से हाल ख.न. 3543 रकबा 0.42 है0 ग्राम धांधोली तहसील दूदू जिला जयपुर में कायम किये जाने पाया जाता है, जमाबन्दी सम्वंत 2066 से 2069 के खाता संख्या 38 की आराजी ख.प. 3352 रकबा 0.04 है0 गे. मु. चाह हिस्सा 1/8 प्रतिवादी संख्या 1, 2 हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा सुवा पुत्र श्री भींवा 1/8 प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 के नाम है एवं ग्यारसी पत्नी गोपाल के नाम से दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 3346 रकबा 0.11 है0 व 3348 रकबा 0.03 है0 व खसरा नम्बर 3543 रकबा 0.42 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.56 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है सिजरा अनुसार वादी के पिता सुवा पुत्र छीतर एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता गोपाल के पिता का नाम सुवा पुत्र भीवां है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 का सम्बन्ध सुवा पुत्र छीतर से व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का सम्बन्ध सुवा पुत्र भींवा से है। नामान्तरकरण संख्या 246 के तहत ख.न. 1185, 1195 वादी के पिता सुवा पुत्र छीतर के नाम दर्ज हुये तत्पश्चात नामान्तरण संख्या 503 दिनांक 21/3/1975 द्वारा खसरा नम्बर 1187 की विरासत प्रतिवादी संख्या 3 के पति नोरत की वल्दियत सुवा हिस्सा 1/8 दर्ज कर दी गई एव ना.स. 669 दिनांक 5/12/1978 द्वारा सुवा पुत्र भींवा की विरासत प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता गोपाल पुत्र सुवा के नाम दर्ज है, तथा ना. स 812 दिनांक 8/2/1985 के द्वारा प्रंतिवादी संख्या 1, 2 के नाम विरासत से खातेदारी दर्ज की गई है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वतं 2027 से 2030 के खाता संख्या 275 मे सुवा पुत्र छीतर का अंकन है, जो जमाबन्दी सम्वंत 2031 से 2030 के खाता संख्या 36 में वादी के नाम का अंकन कॉलम स. 16 में ना. स. 503 का अंकन है जो वादी से सम्बन्धीत है, सही है परन्तु जमाबन्दी सम्वतं 2035 से 2038 के कालॅम स. 16 में ना. स. 669 का अंकन करते हुए गोपाल पुत्र सुवा जो कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता है, की अन्य खातेदारी भूमि के साथ जोडते हुए गलत दर्ज कर दी गई है, जो मात्र् समान नाम व वल्दियत समान होने से सहवन से दर्ज किया जाना पाया जाता हैं, वादी ने जो साक्ष्य गवाहान पी.डब्ल्यू.1, 2 व 3 पेश किये है, उससे भी वादी के वाद की ताईद होती है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 की ओर से ईकबालिया जवाबदावा पेश होकर वाद को स्वीकार किया गया है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद तामिल् के न तो स्वंय उपस्थित हुये न ही उनकी ओर से कोई आपत्ति पेश हुई है,

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का वाद बखूबी साबित होता हैं। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 3346, 3348, 3543 कुल किता 03 कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर सम्पूर्ण व हाल खसरा नम्बर 3352 रकबा 0.04 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 में दर्ज खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का नाम हजफ किया जाकर वादी को एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16/5/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

अन्तिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बूंदी मुकाम

व इजलास श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत (R.A.S)

गोपाल s/o बुधा चौधरी बनाम 1. नन्दा s/o गोपाल 2. अमरचन्द s/o गोपाल जि० चांधोल दावा बावत घोषणा डिक्री 3. हरी w/o नौरतमल जाति व अन्य 1 ता 6

मुकदमा नं. 81/2015 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मोरलाल शर्मा एड.

व हाजिरो ...... मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी एड.

मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी, खसरा नं. 3346, 3348, 3543 कुल किता 03 रकबा 0.56 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नं. 3352 रकबा 0.04 हैक्टेयर, के हिस्सा 1/2 के दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का नाम हटाया किया जाकर वादी को 1/3 भाग खातेदार घोषित किया जाता है।

निज ...... मुबलिग ...... बाबत

खर्चा इस मुकदमें के गय सूद बशरह ...... फीसदी ...... आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ...... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16-5 माह 2019 सन् को जारी की गई।

मुहर

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी ...)

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा बूंदी

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner